

**उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17(ङ) के
प्राविधानान्तर्गत कार्मिक (शिक्षक/ कर्मचारी) के संवर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन –पत्र**

1. कार्मिक के पद का संवर्ग (विकास खण्ड/ जनपद/ मण्डल संवर्ग) :.....
2. कार्मिक का नाम :.....
3. वर्तमान कार्यरत् विद्यालय/ कार्यालय का नाम :.....
विकास खण्ड का नाम:..... जनपद का नाम :.....
4. विद्यालय/ कार्यालय की ID.....
5. पदनाम :..... विषय :.....
6. संवर्ग परिवर्तन हेतु जिस जनपद/ मण्डल में स्थानान्तरण वाचित है का नाम
स्थानान्तरण चाहने का कारण
(a या b का उल्लेख करें, प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
a. दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/ संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण
b. विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/ दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/ संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण

नोट : (i). संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित/ नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा।

(ii). कार्मिक द्वारा www.educationportal.uk.gov.in से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर कार्मिक:

नाम एवं पद नाम.....

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)

नाम :

(संस्था की सील)

खण्ड शिक्षा अधिकारी/ उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा कार्मिक पदनाम
विषय विद्यालय/ कार्यालय का नाम के उक्त आवेदन पत्र
के दर्शायी गई अंकनाओं का भली भांति जांच कर ली है, एवं कार्मिक संवर्ग परिवर्तन में स्थानान्तरण हेतु पात्र है।

प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक:

खण्ड शिक्षा अधिकारी/ उप शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड : जनपद: